

श्री. सोनाराम s/o सोनाराम जाति बनाम सुरेश s/o शंभाराम जाति -  
 मेघवाल नि. रातड़ी मेघवाल निवासी रातड़ी  
 बौरा 9 वौरा 10

किस्म मुकदमा राजस्व वाड अधि. मुकदमा नम्बर 51 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/06/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री सुरेश चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/06/21 को पेश हो।	Reg. Ad. 4267-68 17-06-2021
23-06-2021	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के तामीलखुदा नोटिसों का इन्तजार होकर आइदा दिनांक 30-06-2021 को पेश हो।	
30-06-2021	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण के नोटिसों का इन्तजार होकर आइदा दिनांक 07-07-2021 को पेश हो।	
07-07-2021	पत्रावली पेश हुई। आज कार अधिवक्ता संघ वाइप्रो के सम्मुख अधिवक्ता के रेफरेंस पर होने के कारण इलगा होकर पत्रावली आइदा दिनांक 08-07-2021 को पेश हो।	

सहायक कलक्टर  
शिव (वाडमेर)

सहायक कलक्टर  
शिव (वाडमेर)

सहायक कलक्टर  
शिव (वाडमेर)

सहायक कलक्टर  
शिव (वाडमेर)



तारीख हुक्म

20.11.25

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 5.1.26 को पेश हो।

05.01.26

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी केटीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आई-दा दिनांक 12.02.26 को पेश हो।

12.02.26

पत्रावली पेश। वादी पक्ष उपस्थित।  
पत्रावली परस्ते वादी खाद्य हेतु दिनांक 12.03.26 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर शिव (वाडमेर)

12.3.26

पत्रावली पेश हुई।  
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 27.4.26 को पेश हो।

27.4.26

पत्रावली पेश। वाक्यलय अनुपस्थित।  
पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय सभ्य में उपपक्ष व अधिवक्तागण को रुक-रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद कोई भी उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।  
पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर शिव (वाडमेर)